2025/183

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड पुत्र श्री रामसिंह निवासी धनजी स्ट्रीट पिण्डवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 36 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
30.06.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा को दिनांक 08.05.2025 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि तहसील कार्यालय पिण्डवाडा से सम्पूर्ण पिण्डवाडा तहसील क्षेत्र के ईडब्ल्यूएस के तहत प्राप्त आवेदनों पर लेवल–1 की अनुमति प्रदान की जाती है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाईन की प्रमाणित प्रति एवं अपीलांट की पत्नि श्रीमती अमिता कुंवर सिसोदिया शादी के बाद से अपीलांट पर आश्रित है और उसके ईडब्ल्यूएस आवेदन में उसके पिता का बैंक स्टेटमेन्ट मांगा जा रहा है, वह किस नियम के तहत मांगा है, उस नियम की सत्यापित प्रतिलिपि एवं अपीलांट की पत्नि के पिता एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी है और उनका आय प्रमाण पत्र देने के बावजूद बैंक स्टेटमेन्ट मांगा जा रहा है। अतः सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी से यह किस नियमों के तहत मांगा जा रहा है, उस नियम की सत्यापित प्रति एवं वर्ष 2019 से 2025 तक राज्य सरकार द्वारा जारी ईडब्ल्यूएस से सम्बन्धित परिपत्रों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा को दिनांक 08.05.2025 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि तहसील कार्यालय पिण्डवाडा से सम्पूर्ण पिण्डवाडा तहसील क्षेत्र के ईडब्ल्यूएस के तहत प्राप्त आवेदनों पर लेवल–1 की अनुमति प्रदान की जाती है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाईन की प्रमाणित प्रति एवं अपीलांट की पत्नि श्रीमती अमिता कुंवर सिसोदिया शादी के बाद से अपीलांट पर आश्रित है और उसके ईडब्ल्यूएस आवेदन में उसके पिता का बैंक स्टेटमेन्ट मांगा जा रहा है, वह किस नियम के तहत मांगा गया है, उस नियम की सत्यापित प्रतिलिपि एवं अपीलांट की पत्नि के पिता एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी है और उनका आय प्रमाण पत्र देने के बावजूद भी बैंक स्टेटमेन्ट मांगा जा रहा है। अतः सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी से यह किस नियमों के तहत मांगा जा रहा है, उस नियम की सत्यापित प्रति एवं वर्ष 2019 से 2025 तक राज्य सरकार द्वारा जारी ईडब्ल्यूएस से सम्बन्धित परिपत्रों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	